

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग-3
पत्रांक: 1824(17)/33-3-2015-10 जी0आई/2015
लखनऊ दिनांक: 26 जून, 2015
:: कार्यालय ज्ञापः

भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या: 11015/123/2015-पी0बी0 दिनांक 28 मई, 2015 के द्वारा राज्य स्तर से 14वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं अन्य मदों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति के गठन की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायतीराज विभाग द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाता है:-

क्र0सं0	पदनाम	विभाग	समिति में स्तर
1	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	—	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव	पंचायती राज विभाग	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव	वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव	नियोजन विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव	महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
8	आयुक्त ग्राम्य विकास	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
9	निदेशक, पंचायती राज	पंचायतीराज विभाग	सदस्य सचिव

उक्तानुसार गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा राज्य स्तर से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण से संबंधित कार्य तथा भारत सरकार स्तर पर सचिव कान्फेस में लिये गये निर्णयों का फालोअप, क्रियान्वयन एवं परिपालन कराया जायेगा।

2157

निदेशक (पंचायत) (ए)

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव,

निदेशक
336115

पत्रांक: 1824(17)
/33-3-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0, शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
- 9- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।

(एस0 एन0 सिंह)
उपनिदेशक (पंचायत)
पंचायती राज, उ0प्र0

आज्ञा से,
(आर0पी0 सिंह)